Order Sheet [Contd]

Registration No.	SC ATR /121/2026
Filling No.	SC ATR /4904/2026
CNR No.	MP0801-006131/2026
I.A. No.	**01/2026**

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट) गुना म.प्र.
समक्ष–आर.के. जैन

प्रकरण क्रमांक	121/2026
फाईलिंग नंबर	4904/2026
सी.एन.आर. नंबर	MP0801-006131/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराध क्रमांक 02/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने की दिनांक	15.03.2026
अपराध अंतर्गत धारा	धारा–115(2), 118(1), 296ए, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) एस. सी.एस.टी.एक्ट
पुलिस थाना	ए.जे.के. जिला गुना म.प्र.
गिरफ्तारी/अभिरक्षा दिनांक	11.08.2026
अभियोग पत्र पेश किये जाने की दिनांक	11.08.2026
आपराधिक रिकॉर्ड	थाना कैंट के अपराध क्रमांक–373/2021 धारा–294, 323, 506, 34 भा.द.वि.
आई.ए.नम्बर–	**01/2026**
प्रतिभूति आवेदन प्रस्तुति की स्टेज	अन्य अभियुक्तगण की उपस्थिति के प्रक्रम पर

राज अहिरवार पुत्र श्री राजाराम अहिरवार, जाति–अहिरवार, आयु–19 वर्ष, व्यवसाय–अध्ययनरत, निवासी–रसीद कॉलोनी गुना जिला गुना म.प्र. .....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र अ.जा.क. गुना, जिला गुना, म.प्र. .....**अनावेदक/अभियोजन**

Order Sheet [Contd]

Registration No.	SC ATR /121/2026
Filling No.	SC ATR /4904/2026
CNR No.	MP0801-006131/2026
I.A. No.	**01/2026**

12-08-2026	आवेदक/अभियुक्त **राज अहिरवार** की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश अवस्थी उपस्थित। अनावेदक/मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा विशेष लोक अभियोजक श्री हजारीलाल बैरवा उपस्थित। प्रकरण का फरियादी अभिषेक पुत्र बालकिशन धौलपुरिया उम्र–24 साल निवासी–मकान नम्बर–70 गली नम्बर 03 मटकरी कॉलोनी गुना म.प्र. सूचना पत्र की तामील उपरांत अनुपस्थित है। पुलिस थाना अ.जा.क. जिला गुना म.प्र. के अपराध क्रमांक 02/2026, धारा 115(2), 118(1), 296ए, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की कैफियत प्राप्त कि उक्त अपराध में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मूल प्रकरण प्रस्तुत है। उभयपक्ष को अभियुक्त/आवेदक की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता/483 बी.एन.एस.एस. पर सुना गया। आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके पिता राजाराम पुत्र धरमचन्द्र अहिरवार आयु–53 साल निवासी–रसीद कॉलोनी गुना म.प्र. का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उसका पुत्र है और आवेदक का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होकर लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है। आवेदक/अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता ने मामले के गुण दोष पर तर्क करते हुए कहा है कि आवेदक का यह प्रथम नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र है, आवेदक के विरूद्ध असत्य सूचना के आधार पर थाना अजाक गुना द्वारा अपराध क्रमांक–02/2026 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर लिया है, पुलिस ने उक्त प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, आवेदक सर्वथा निर्दोष है, आवेदक द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया, आवेदक को असत्य आधारों पर संलिप्त किया गया है जबकि तथाकथित	

Order Sheet [Contd]

Registration No.	SC ATR /121/2026
Filling No.	SC ATR /4904/2026
CNR No.	MP0801-006131/2026
I.A. No.	**01/2026**

अपराध से आवेदक का कोई संबंध नहीं है, आवेदक से कोई जप्ती व पूछताछ होना शेष नहीं है, आवेदक 19 वर्षीय नवयुवक होकर अध्ययनरत छात्र है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, आवेदक रसीद कॉलोनी गुना का स्थायी निवासी होकर चल अचल संपत्ति का स्वामी है, आवेदक के भागने या फरार होने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है, प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है, अतः आवेदन स्वीकार कर आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

अनावेदक म.प्र. राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया और जमानत आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

मूल प्रकरण एवं आरक्षी केन्द्र अजाक गुना, जिला गुना म.प्र. से प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्तगण दीपक ओझा, करण ओझा, राज अहिरवार, निक्की उर्फ निखिल धारू के विरूद्ध थाना अजाक गुना, जिला गुना के अपराध क्रमांक–02/2026 धारा 115(2), 118(1), 296ए, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और अभियोग पत्र प्रस्तुति के सूचना पत्र की तामील उपरांत अभियुक्त राज अहिरवार न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा शेष सह अभियुक्तगण सूचना पत्र की तामील उपरांत उपस्थित नहीं हुए हैं। अभियुक्त राज अहिरवार को दिनांक–11.08.2026 को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाकर जिला जेल गुना भेजा गया तथा अभियुक्त दिनांक–11.08.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा–118(1) बी.एन.एस. एवं एस.सी.एस.टी. एक्ट की धाराओं को छोड़कर शेष धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं और प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, मामला मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। प्रकरण प्रारंभिक अवस्था पर होकर उसके निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा अपराध की

Order Sheet [Contd]

Registration No.	SC ATR /121/2026
Filling No.	SC ATR /4904/2026
CNR No.	MP0801-006131/2026
I.A. No.	**01/2026**

प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त/आवेदक राज अहिरवार को जमानत का लाभ दिया जाना उचित है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **राज अहिरवार** का **प्रथम** नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–439 दंड प्रक्रिया संहिता/483 बी.एन.एस.एस. निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है :–

1–यह कि अभियुक्त द्वारा 25,000/–रूपए की सक्षम प्रतिभूति समान राशि के बंधपत्र सहित प्रस्तुत करेगा।

2–यह कि अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को प्रताड़ित, प्रलोभित एवं प्रभावित नहीं करेगा।

3–यह कि अभियुक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

4–यह कि अभियुक्त विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा।

5–यह कि अभियुक्त धारा 480(3) बी.एन.एस.एस. में उल्लेखित शर्तों का पालन करेगा।

प्रकरण शेष अभियुक्तगण दीपक ओझा, करण ओझा, निक्की उर्फ निखिल धारू की उपस्थिति हेतु पूर्ववत् दिनांक–20.08.2026 को पेश हो।

RAKESH KUMAR JAIN
Digitally signed by RAKESH KUMAR JAIN
Date: 2026.08.12 16:52:59 +0530

आर.के. जैन
विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटीज
गुना (म.प्र.)